



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092026-276495  
CG-DL-E-26092026-276495

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4948]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2026/भाद्र 27, 1948

No. 4948]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2026/BHADRA 27, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2026

**का.आ. 5154(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 866(E) तारीख 17/02/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मेघालय राज्य के री भोई जिले में NH37 के कि.मी. 164.4 से कि.मी.171 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उप धारा (3) के अधीन तारीख 12.03.2026" को दि शिलांग टाइम्स अंग्रेजी भाषा और "यू पीतंगोर" स्थानीय भाषा में प्रकाशित किया गया था ; जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर कोई दावा /आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

मेघालय राज्य के री भोई जिले में NH37 के कि.मी. 164.4 से कि.मी.171 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

| राज्य का नाम: मेघालय |                  |                | जिले का नाम: री भोई |                                  |                                     |
|----------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| क्रमिक संख्या        | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति     | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम |
| 1                    | 2                | 3              | 4                   | 5                                | 6                                   |
| तालुक का नाम: उमलिंग |                  |                |                     |                                  |                                     |
| गांव का नाम: बारीदुआ |                  |                |                     |                                  |                                     |
| 1                    | 20               | निजी           | कमर्शियल            | 0.0217                           | श्री स्त्रियावभलांग धार 20          |
| Total                |                  |                |                     | 0.0217                           |                                     |

[फा. सं. Bhooirashi/RiBhoi/001/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2026

**S.O. 5154(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **866(E) Dated:17/02/2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH37 in the stretch of land from Km. 164.4 to Km. 171 in the district of Ri-Bhoi in the state of MEGHALAYA

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Shillong Times” in English Language and “U” Peitngor” in Vernacular Language both dated 12.03.2026 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has not received objections;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

### SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH37 in the stretch of land from Km. 164.4 to Km. 171 in the district of Ri-Bhoi in the state of MEGHALAYA**

| State: MEGHALAYA |                    |              | District: Ri-Bhoi |                       |                                            |
|------------------|--------------------|--------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Sl. No.          | Survey/Plot Number | Type of Land | Nature of Land    | Area<br>(in Hectares) | Name of Land<br>Owner/Interested<br>Person |
| 1                | 2                  | 3            | 4                 | 5                     | 6                                          |
| Taluk: Umling    |                    |              |                   |                       |                                            |
| Village: Baridua |                    |              |                   |                       |                                            |
| 1                | 20                 | Private      | Commercial        | 0.0217                | Shri Sniawbhalang<br>Dhar<br>20            |
| Total            |                    |              |                   | 0.0217                |                                            |

[F. No. Bhooirashi/RiBhoi/001/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director